

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ०सं०-२२/नि०सि०(अभि०)भाग०-२२-२१/२०२२

०७

३१-०१-२०२३
पटना, दिनांक-

आदेश

चूँकि अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग को संबोधित पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक-३२७४ दिनांक ०१.१२.२०२२ द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों एवं केस दैनिकी में अंकित साक्ष्यों के परिशीलन के बाद, सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना कांड सं०-०४८/२०१५ दिनांक २५.०६.२०१५ के अभियुक्त श्री शारदानन्द सिंह (आई०डी०-जे ९४२८), तत० कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला-मुँगेर, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-४६७/४६८/४७१/४०९/४२०/१२०बी तथा भ्र०नि०अधि० की धारा-१३(२) सह पठित धारा-१३(१)(सी)(डी) के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया केस बनता है।

और चूँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का अधिनियम सं०-०२) की धारा-१९७ एवं भ्र०नि०अधि०, १९८८ की धारा-१९ के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जो सक्षम प्राधिकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है,

और चूँकि श्री शारदानन्द सिंह (आई०डी०-जे ९४२८), तत० कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला-मुँगेर, सम्प्रति सेवानिवृत्त ऐसे लोक सेवक हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकार के मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते हैं और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है,

और अब इसलिए सक्षम प्राधिकार एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का अधिनियम संख्या-२) की धारा-१९७ एवं भ्र०नि०अधि०, १९८८ की धारा-१९ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भा०द०सं० की धारा-४६७/४६८/४७१/४०९/४२०/१२०बी एवं भ्र०नि०अधि० की धारा-१३(२) सह पठित धारा-१३(१)(सी)(डी) के अधीन अपराधों के लिए श्री शारदानन्द सिंह (आई०डी०-जे ९४२८), तत० कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला-मुँगेर, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

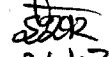
ह०/-
(ईश्वर चन्द्र ठाकुर)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
क०प०उ०

ज्ञापक-

176

दिनांक- 31-01-2023

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/श्री राजीव कुमार सिंह, पुलिस
उपाधीक्षक -सह- अनुसंधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/अवर सचिव
(प्रबंधन) प्रभारी प्रशाखा-07, 08 एवं 09/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) आई0 टी0 सेन्टर, जल
संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, 08, 09, 12 एवं 22 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



31.1.23

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)